न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/2013	88,188 RTA	राहरोन	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामस्वरूप	बनाम	~~श्यामलाल वगै~~0 चम्पालाल

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील ;-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10.12.13	अभिभाषक वादी द्वारा एक बाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 RTA विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकल किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.01.2014 को पेश हो।	
8.1.14	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी के 1 व 2 की ओर से श्री राकेश लोधा एड. द्वारा अन्डर टेकिंग किया। पत्रावली वादी वकालतनामा। जवाब दिनांक 11.2.14 को पेश हो।	1 व 2 8 आदेश [illegible]
11.2.13	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / ~~अवकाश~~ पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10.3.14 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा /बारा	
10.3.14	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / ~~अवकाश~~ पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.4.14 को पेश हो। प्रतिवादी नम्बरी 3 की ओर से राकेश लोधा एड. द्वारा वकालतनामा पेश हुआ रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा /बारा	
28.4.14	पत्रावली पेश हुई वकील फरीकेन उप. जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली वादी जवाब दिनांक 9.6.14 को पेश हो	
9.6.14	पत्रावली पेश हुई वकील फरीकेन उप. जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली वादी जवाब दिनांक 9.7.14 को पेश हो	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखकर जाकर शा० कि० किया गया। निर्णय पक्षकारान को सुनाया गया। निर्णय की प्रति वास्ते पालना तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

23

निर्णय वइजलास श्री मनमोहन शर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 149 / 13
दायरा दिनांक :– 10.12.2013
निर्णय दिनांक :– 16.01.2023

उनवान

1. रामस्वरूप आयु 30 वर्ष आत्मज गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
2. महेन्द्र आयु 27 वर्ष आत्मज गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
3. काली बाई आयु 35 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
4. सीमा बाई आयु 21 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
5. काली बाई आयु 35 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
6. रिंकी आयु 18 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
7. राजकुमार आयु 14 वर्ष आत्मज गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद शांति बाई बेवा गोपी जाति चमार निवासी राहरोन
8. शांति बाई आयु 55 वर्ष बेवा गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तहसील छबडा जिला बारां राज

बनाम

1. चम्पालाल आयु 56 वर्ष आत्मज गौरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
2. प्रेमनारायण आयु 30 वर्ष आत्मज चम्पालाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
3. मेघराज आयु 28 वर्ष आत्मज चम्पालाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
4. रामप्रसाद आयु 50 वर्ष आत्मज गौरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
5. कमल सिंह आयु 25 वर्ष आत्मज रामप्रसाद जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
6. कन्हैयालाल आयु 22 वर्ष आत्मज रामप्रसाद जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
7. जमनालाल आयु 50 वर्ष आत्मज गोरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
8. रमेश आयु 40 वर्ष आत्मज गोरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
9. राज0 सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, छबडा जिला बारां राज0

प्रतिवादी.............

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :– 16.01.2023
अभिभाषक :– 1. वादी – चिंरोजी लाल भार्गव
2. प्रतिवादी – राजेश लोधा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए विरूद्ध वादीगण के निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश करते है गोपी आत्मज चेत्या जाति चमार निवासी रोन तह0 छबडा की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण संख्या 1-2 एवं 6 मृतक के पुत्र तथा वादनी सं0 3-4-5 गोपी की पुत्रीया एवं वादनी सं 7 गोपी की बेवा है। जो मृतक खातेदार गोपी के वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान है । जो खातेदार गोपी की मृत्यु के उपरान्त उसके खाते एवं स्वामितव की आराजी को अपने नाम खाते दर्ज कराने के पात्र है। वादीगण के अलावा मृतक गोपी के अन्य कोई उत्तराधिकारी नही है। मृतक खातेदार गोपी आत्मज चैत्या के स्वामित्व कब्जे एवं मालिकाना अधिकार में ग्राम राहरोन तह0 छबडा की भूमि खसरा नं. 181 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा लगानी 1/-रूपया 55 पैसा वाके है। जिस पर गोपी की मृत्यु के उपरान्त वादीगण काबिज है।

प्रतिवादीगण जो एक परिवार के लोग है आपस में भाई बेटे है। आर्थिक एवं शारिरिक तौर पर काफी सम्पन्न लोग है जबकि वादीगण गरीब लोग है। कठिन परिश्रम मेहनत मजदुरी एवं कृषि कार्य कर अपनी उदरपूर्ति एवं भरण पोषण करते है। प्रतिवादीगण की नियत में बदयंती उत्पन्न हो जाने से प्रतिवादीगण वादीगण के स्वामित्व कब्जे एवं मालिकाना अधिकार में स्थित कब्जे काश्त की भूमि वाके माल राहरोन की खसरा नं. 181 पर वादीगण को बलपूर्वक बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित करने पर आमादा है। आराजी को समतल कराने के लिए वादीगण ने मिट्‌टी आदि डालकर हांकने जोतने के लिए तैयार कर रखी है। दिनांक 26.11.2013 का वाका है वादीगण रामस्वरूप शांति बाई आदि वर्णित आराजी को हांक कर गेहुँ बोने के लिये गये तो समस्त प्रतिवादीगण अपने हाथो में खतरनाक हथियार लेकर वादीगण के स्वामित्व कब्जे एवं मालिकाना अधिकार में स्थित आराजी खसरा नं. 181 माल राहरोन पर आये तथा वादीगण को कृषि कार्य करने से रोका। गेहु की बुआई नही करने दी। तथा वादीगण के प्रतिनिधियो को जान से मारने पर आमादा हुये हाथ पांव काटने की धमकी दी गांव छोडने को मजबुर करने की परिस्थिति पैदा करने की धमकी दी। तथा गेहु की बुआई नही करने दी वादीगण ने बामुश्किल अपनी जान बचाई।

प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी उक्त धमकी से वादीगण को पूर्ण रूपेण आदेश हो गया है कि यदि जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो वह वादीगण को उसके खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर देगें तथा अपना कब्जा स्थापित कर लेगें। जिसके परिणामस्वरूप वादी को भारी आर्थिक क्षति होगी गेरजरूरी मुकदमेबाजी में उलझ कर जेरकार होना पडेगा। भूमि से वंचित होना पडेगा। बिनाय दावा दिनांक 26.11.2013 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादीगण को आराजी वादग्रस्त पर काश्त करने में रूकावट पैदा की तथा जान से मारने की धमकी दी। बिनाय दावा दिनांक 26.11.2013 कायम की जाती है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। राजस्थान भूधारी है जिनके द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किया जाना है तथा गोपी की मृत्यु पर वादीगण का आराजी वादग्रस्त का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार घोषित किया जाना है। जिसके लिये न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहस वादीगण बरखिलाय प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे।

आराजी वादग्रस्त वाके माल राहरोन की खसरा नं. 181 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं0 9 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता0 8 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। कि वह अथवा उनके प्रतिनिधि आराजी वादग्रस्त वाके माल राहरोन तह0 छबडा की भूमि खसरा नं. 181 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार की कोई

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बाधा अथवा रूकावट पैदा नही करे। तथा वादीगण को उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने में [illegible] व्यवधान पैदा नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टार किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगणों के बाद तामील सम्मन प्राप्त जिनकी ओर से श्री राजेश लोधा अभिभाषक का वकालत नामा पेश होकर जवाब दावा पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी संख्या 15 ग्राम राहरोन सम्वत् 2068–2071 एवं नक्शा ट्रेस नकल गिरदावरी सम्वत् 2064–2066 मृत्यु प्रमाण पत्र गोपी पुत्र चेत्या एवं जमाबंदी नकल सम्वत् 2072–2075 पेश की।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर निम्न प्रकार तनकी कायम की गई।

1. आया कि ग्राम राहरोन तहसील छबडा के ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि खातेदार मृतक गोपी पुत्र चेत्या जाति चमार निवासी राहरोन के वादीगण वारिस है। इसलिए खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

2. आया कि आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है खातेदार है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

3. आया कि प्रतिवादीगण ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा ग्राम राहरोन तहसील छबडा वादीगण को खातेदारी में नही होने से केवल खारिज है।

4. आया कि प्रतिवादी गण ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा पर काबिज नही होकर ख0न0 181/2 रकबा 2.10 बीघा पर काबिज है इसलिए वादीगण बेदखल करवाना चाहता है।

5. अनुतोष :–

बहस उभय पक्षकार सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम राहरोन तहसील छबडा खाता संख्या 15 ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि खातेदार गोपी पुत्र चेत्या की खातेदारी में स्थित है। वादीगण मृतक गोपी पुत्र चेत्या के वारिसान है। वादीगण संख्या 1, 2 एवं 6 पुत्र 3, 4, 5 व 7 मृतक गोपी की पुत्रियां व बेवा है। जो मृतक खातेदार के वैधानिक वारिस व कायमुकामान है। जो खातेदार गोपी की मृत्यु के उपरांत उसके खाते एवं स्वामित्व की आराजी को अपने नाम कराने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जो आपस में भाई बेटे है। परंतु प्रतिवादीगण की नीयत में वदयांती आने से प्रतिवादी गण वादीगण के स्वामित्व कब्जे एवं मालिकाना अधिकार में स्थित कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा को बलपूर्वक बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजी वाके ग्राम राहरोन तहसील छबडा के खाता संख्या 15 ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि को वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी गणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त आराजी में किसी प्रकार की दखलांदाजी न तो स्वयं करें और नही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि ग्राम राहरोन तहसील छबडा के ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा वादीगण के खातेदारी की नही होने तथा उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा स्वामित्व नही होने से वादी गण का वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि पर काबिज न होकर ख0न0 181/2 रकबा 2.10 बीघा भूमि पर काबिज है जो कई वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी गण उक्त ख0न0 181/2 से बेदखल करना चाहते है। जिसका वादीगण को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी द्वारा उक्त वाद, वादकरण के अभाव मे तथा वादमित्र हुए बिना यह वाद प्रस्तुत किया गया है। इस कारण आदेश 32 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की पालना के अभाव मे वाद कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा वाद पत्र दो प्रतियों में भी पेश नहीं किया गया है जिसके अभाव में भी वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत् खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र में तहसीलदार छबडा को पक्षकार बनाया गया है परंतु 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी का साबित करने का भार वादी पर है ग्राम राहरोन तहसील छबडा के ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि वादीगणों के पिता गोपी पुत्र चेत्या के खातेदारी में दर्ज थी उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान वादीगण के नाम इंतकाल खुल जाने से यह साबित होता है कि उक्त विवादित आराजी में पुनः खातेदारी अधिकारी दिये जाना न्याय संगत नहीं है। इंतकाल नं 352 दिनांक 05.06.2014 विरासत के अनुसार वादीगण को पूर्व में खातेदारी अधिकार मिल चुके है परंतु प्रतिवादी गण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है इसलिए उनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। ग्राम राहरोन तहसील छबडा के ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि मुताबिक जमाबंदी 2072–2075 के अनुसार वादीगणों के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे व स्वामित्व में है। वादीगण अपने कब्जे व स्वामित्व पर दखल नहीं देने हेतु प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है। चूंकि उक्त विवादित भूमि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त होने से प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। ग्राम राहरोन तहसील छबडा की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि वादीगणों के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है परंतु प्रतिवादीगणों द्वारा ऐसा काई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सकें कि उक्त विवादित भूमि वादीगणों के खातेदारी में दर्ज नहीं है। प्रतिवादी गण साक्ष्य सबूत पेश करने में असफल रहें है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी गण पर है। ग्राम राहरोन तहसील छबडा की आराजी ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि पर वादीगण काबिज है न कि ख0न0 181/2 पर काबिज है। वादीगण ख0न0 181 की आड में प्रतिवादीगण को ख0न0 181/2 से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। ग्राम राहरोन की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 में वादीगण ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा पर काबिज काश्त है और अपने काबिज काश्त ख0न0 पर खातेदारी अधिकार एवं उस पर अन्य कोई प्रतिवादीगण दखलांदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने हेतु वाद दायर किया है। उक्त वाद पत्र में ख0न0 181/2 के संबंध में वाद पत्र में कोई विवादित विवरण नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् ख0न0 181/2 का नोटिस पेश किया गया जो इस प्रकरण से सबंधित नहीं है। साक्ष्य प्रतिवादी चंपालाल डी डब्ल्यु 1 द्वारा अपने साक्ष्य में बताया कि ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि मेरे खाते में नहीं है कब्जे में है। मैंने कोई फसल नहीं बोई है। इसी प्रकार डी डब्ल्यु 2 व डी डब्ल्यु 3 द्वारा भी ख0न0 181 रकबा 2.10 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं होना बताया है। प्रतिवादी गण का कब्जा होना बताया है। परंतु

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तिवादीगण द्वारा कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज व सबूत पेश नहीं किये गये है। जिससे यह साबित है कि प्रतिवादीगण मिथ्या व बनावटी तथ्य पेश कर न्यायालय को गुमराह कर रहे है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम राहरोन की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादीगण को पूर्व में खातेदारी अधिकार मिल चुके है। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा स्वामित्व में किसी प्रकार की दखलांदाजी उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित होगा।

: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम राहरोन तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे स्वामित्व में किसी प्रकार की दखलांदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

...यालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 149/013	धारा अन्तर्गत 88, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 16.01.2023
समक्ष : मनमोहन शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः—चिरोंजी लाल भार्गव	अभिभाषक प्रतिवादीः— राजेश लोधा	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रामस्वरूप आयु 30 वर्ष आत्मज गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
2. महेन्द्र आयु 27 वर्ष आत्मज गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
3. काली बाई आयु 35 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
4. सीमा बाई आयु 21 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
5. काली बाई आयु 35 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
6. रिंकी आयु 18 वर्ष पुत्री गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
7. राजकुमार आयु 14 वर्ष आत्मज गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद शांति बाई बेवा गोपी जाति चमार निवासी राहरोन
8. शांति बाई आयु 55 वर्ष बेवा गोपी जाति चमार निवासी राहरोन तहसील छबडा जिला बारां राज ....वादी

बनाम

1. चम्पालाल आयु 56 वर्ष आत्मज गौरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
2. प्रेमनारायण आयु 30 वर्ष आत्मज चम्पालाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
3. मेघराज आयु 28 वर्ष आत्मज चम्पालाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
4. रामप्रसाद आयु 50 वर्ष आत्मज गौरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
5. कमल सिंह आयु 25 वर्ष आत्मज रामप्रसाद जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
6. कन्हैयालाल आयु 22 वर्ष आत्मज रामप्रसाद जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
7. जमनालाल आयु 50 वर्ष आत्मज गोरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
8. रमेश आयु 40 वर्ष आत्मज गोरीलाल जाति चमार निवासी राहरोन तह0 छबडा
9. राज0 सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, छबडा जिला बारां राज0

.............प्रतिवादी

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम राहरोन तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे स्वामित्व में किसी प्रकार की दखलांदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया।

साथ ही नियमानुसार ....×............................ रू0 का व्ययानुतोष ....×......... द्वारा ....×.......... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16.01.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी छबडा
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छबडा

व्ययानुतोष			
क्र. सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		